INDEX

DAILY CURRENT AFFAIRS NOTES

4th August 2022

1. - डेटा संरक्षण विधेयक के बारे में: 3
   (i) महत्वपूर्ण सिफारिशें: 3
   (ii) ये सुझाव यूरोपीय संघ के कानून से कैसे तुलना करते हैं? 3
   (iii) समानताएं: 3
   (iv) समिति ने डेटा सुरक्षा प्राधिकरण (डीपीए) बनाने की सिफारिश की है: 4
   (v) अतिरिक्त उल्लेखनीय वस्तुओं में शामिल हैं: 4

2. - ssAnti डोपिंग बिल का विवरण: 5
   (i) विधेयक के मुख्य तत्व क्या हैं? 5
   (ii) उल्लंघन के परिणाम: 5
   (iii) क्या है बिल का महत्व? 5
   (iv) बिल से आपको क्या दिक्कतें हैं? 5
   (v) नाडा: 6
   (vi) वडा: 6

3. - उचित और लाभकारी मूल्य के बारे में: 7
   (i) एफआरपी का विवरण: 7
   (ii) एफआरपी की घोषणा करते समय किन तत्वों को ध्यान में रखा जाता है? 7

4. - केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का विवरण: 9
   (i) सीवीसी का इतिहास: 9
   (ii) सीवीसी के उद्देश्य हैं: 9
   (iii) सीवीसी की प्रभावशीलता: 9
   (iv) सीवीसी के सामने कई समस्याएं: 9

संपादकीय विश्लेषण 11

1. भारतीय प्रवासी: 11
   (i) परिचय: 11
   (ii) भारतीय प्रवासी: 11
   (iii) भारतीय प्रवासी भारत को निम्नलिखित अवसर प्रदान करते हैं: 11
   (iv) कैसे जारी रखें: 12
   (v) कूटनीति से मिलकर: 12
   (vi) आर्थिक विकास: 12
   (vii) निष्कर्ष: 12

2. भारत में सेवा क्षेत्र: 13
   (i) विवरण: 13
   (ii) भारत में सेवा क्षेत्र: 13
   (iii) क्षेत्र का आकार: 13
   (iv) भारतीय सेवा उद्योग को जिन समस्याओं का समाधान करना चाहिए उनमें शामिल हैं: 14
   (v) सेवा उद्योग को आगे बढ़ाने के सरकारी प्रयास: 15
   (vi) 2021–2022 के लिए सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए आर्थिक सर्वेक्षण के मुख्य अंशों में शामिल हैं: 16

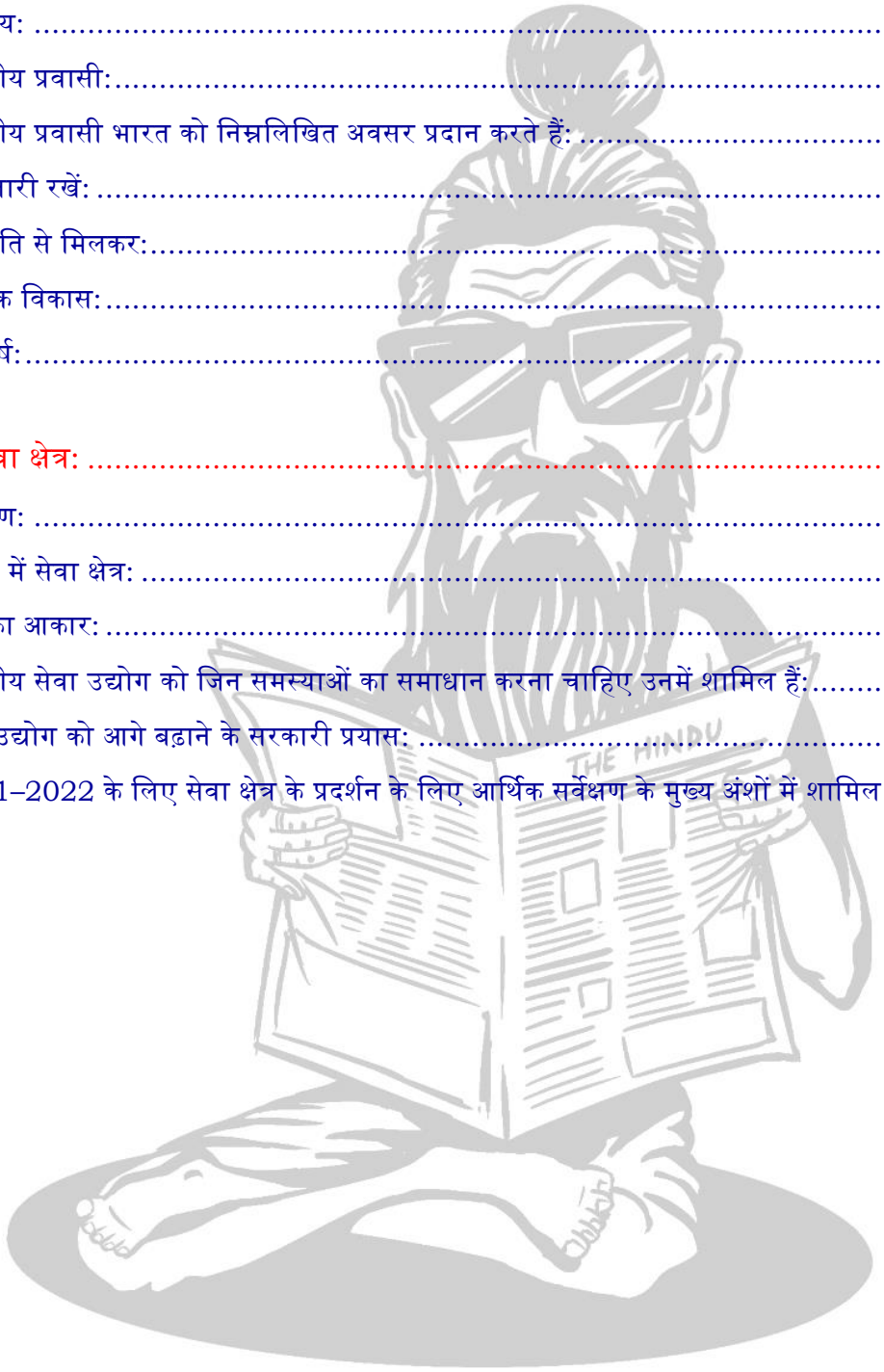

1. - डेटा संरक्षण विधेयक के बारे में:

GS II

विषय→सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

➢ **संदर्भ:**

- ऑनलाइन दुनिया को नियंत्रित करने के लिए "पूर्ण विधायी ढांचा" प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को संसद से वापस ले लिया गया था। डेटा गोपनीयता पर अलग नियम, समग्र रूप से इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र, साइबर सुरक्षा, दूरसंचार नियम, और देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए गैर-व्यक्तिगत डेटा का उपयोग सभी इस ढांचे में शामिल हैं।

महत्वपूर्ण सिफारिशें:

- इस परिवर्तन को दर्शाने के लिए, "व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक प्रस्तुत" शीर्षक को अद्यतन करने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि गोपनीयता की बेहतर सुरक्षा के लिए, बिल गैर-व्यक्तिगत डेटा को भी संबोधित करेगा, जैसे कि व्यक्तिगत डेटा जिसे गुमनाम कर दिया गया है।
- "संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी किसी भी विदेशी सरकार या एजेंसी के साथ साझा नहीं की जाएगी जब तक कि संघीय सरकार द्वारा इस तरह के साझाकरण की अनुमति नहीं दी जाती है," भारत के बाहर व्यक्तिगत जानकारी के प्रसारण को प्रतिबंधित करने वाले अनुभाग में नया शब्द होना चाहिए।
- जब तक मंच की सेवाओं को शक्ति प्रदान करने वाली तकनीक का मालिक मूल कंपनी भारत में मौजूद नहीं है, तब तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वहां संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- यह मीडिया को विनियमित करने के विशेष उद्देश्य के साथ एक अलग नियामक निकाय स्थापित करने की वकालत करता है।
- कोई भी व्यक्ति जो डी-आइडेंटिफाइड डेटा की पहचान करता है, उसे 3 साल की जेल की सजा, रु। 2 लाख जुर्माना या दोनों।
- विधेयक का नाम बदलकर "निजीकरण" किया जाना चाहिए।
- केंद्र सरकार किसी भी सरकारी एजेंसी को असामान्य परिस्थितियों में ही कानून से छूट दे सकती है।

ये सुझाव यूरोपीय संघ के कानून से कैसे तुलना करते हैं?

- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के लिए जेसीपी की सिफारिशें कई पहलुओं में यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के समान हैं।

समानताएं:

- उपयोगकर्ताओं को अपने डेटा को संसाधित करने के तरीके से ऑप्ट इन या आउट करने के लिए अपनी सूचित सहमति प्रदान करनी होगी।
- उल्लंघन: अधिकारियों को रहस्योद्घाटन के 72 घंटों के भीतर उल्लंघन की सूचना दी जानी चाहिए।
- GDPR के दायित्वों के लागू होने से पहले, दो साल की संक्रमण अवधि होती है।

- यूरोपीय संघ के कानून के अनुसार, एक "डेटा प्रत्ययी" कोई भी व्यक्ति है, चाहे वे मानव हों या कानूनी, साथ ही साथ कोई भी सरकारी निकाय, संगठन या संस्था जो व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के उद्देश्यों और तकनीकों को निर्धारित करती है। भारत में गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं।

समिति ने डेटा सुरक्षा प्राधिकरण (डीपीए) बनाने की सिफारिश की है:

- डेटा सुरक्षा प्राधिकरण व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत डेटा (डीपीए) दोनों को संभालेगा।

- **डीपीए सदस्यता:**कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार डीपीए के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का चयन करेगी।

- समूह में कानून और आईटी सचिव के साथ-साथ भारतीय अटॉर्नी जनरल भी शामिल होंगे।
- केंद्र ने जिन सदस्यों का सुझाव दिया है उनमें से प्रत्येक आईआईटी और आईआईएम से एक स्वतंत्र विशेषज्ञ और एक निदेशक शामिल हैं।

अतिरिक्त उल्लेखनीय वस्तुओं में शामिल हैं:

- कानून का उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा के प्रवाह और उपयोग को परिभाषित करना, उन व्यक्तियों की गोपनीयता की रक्षा करना, जिनकी जानकारी संसाधित की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्थानान्तरण के लिए एक ढांचा तैयार करना, डेटा प्रोसेसर को जवाबदेह ठहराना और अनुचित और हानिकारक प्रसंस्करण के लिए उपाय सुझाना है।

- विपक्षी सांसदों ने अपने असहमति नोट प्रस्तुत किए हैं, जिन्होंने सरकार को अपनी जांच एजेंसियों को कानून के प्रतिबंधों से छूट देने की शक्ति प्रदान करने के बिल के इरादे की तीखी आलोचना की है।

- ***स्रोत→ इंडियन एक्सप्रेस***

2. - ssAnti डोपिंग बिल का विवरण:

GS II

विषय→सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

➢ **संदर्भ:**

- भारतीय संसद ने कल राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के लिए एक विधायी ढांचा प्रदान करने के लिए एक विधेयक को अपनाया।

विधेयक के मुख्य तत्व क्या हैं?

- बिल एथलीटों, एथलीट सपोर्ट कर्मियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्पर्धी खेलों में डोपिंग के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।

उल्लंघन के परिणाम:

- डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप परिणाम निकाले जा सकते हैं, पदकों, अंकों और पुरस्कारों की जब्ती, पूर्व निर्धारित अवधि के लिए किसी घटना में प्रतिस्पर्धा करने की अयोग्यता, वित्तीय दंड, आदि।
- विधेयक बताता है कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी को एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कैसे स्थापित किया जाए और संगठन को कानूनी आधार प्रदान किया जाए।
- इसका नेतृत्व संघीय सरकार द्वारा चयनित एक महानिदेशक द्वारा किया जाएगा। एजेंसी की जिम्मेदारियों में डोपिंग रोधी अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और डोपिंग रोधी कार्यक्रमों का आयोजन, संचालन और प्रबंधन शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन को देखता है।
- खेल में डोपिंग रोधी के लिए राष्ट्रीय बोर्ड: कानून खेल में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड की स्थापना करता है, जो सरकार को डोपिंग रोधी नियमों और अंतरराष्ट्रीय डोपिंग रोधी समझौतों के पालन पर सलाह देगा।
- बोर्ड एजेंसी के संचालन की देखरेख करेगा और दिशा-निर्देश देगा।
- डोप परीक्षण प्रयोगशालाएं: यह माना जाता है कि प्रमुख डोप परीक्षण प्रयोगशाला वर्तमान राष्ट्रीय डोप परीक्षण सुविधा है।
- संघीय सरकार अधिक राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं का निर्माण कर सकती है।

क्या है बिल का महत्व?

- कानून का उद्देश्य एथलीटों को समयबद्ध न्याय देना है जबकि डोपिंग के खिलाफ युद्ध में एजेंसी समन्वय को बढ़ाना है।
- इसके अतिरिक्त, यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के अपने अंतरराष्ट्रीय वादों को बनाए रखने के लिए भारत के संकल्प को बढ़ाने का प्रयास करता है।
- कानून डोपिंग रोधी निर्णय के लिए एक भरोसेमंद, निष्पक्ष तंत्र के निर्माण में सहायता करेगा।

बिल से आपको क्या दिक्कतें हैं?

- इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) और नाडा को इस विधेयक के तहत कानूनी मान्यता प्राप्त होगी।
- महानिदेशक की योग्यताओं को नियमों द्वारा प्रकट किया जाना चाहिए क्योंकि वे विधेयक में निर्दिष्ट नहीं हैं।

- संघीय सरकार को गलत काम, अक्षमता, या "किसी अन्य आधार" के लिए महानिदेशक को बर्खास्त करने का अधिकार है।
- इन वर्गों पर केंद्र सरकार को नियंत्रण देकर महानिदेशक की स्वतंत्रता से समझौता किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, यह विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के नियम के खिलाफ जाता है जिसके लिए इन संगठनों के लिए परिचालन स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है।
- अनुशासनात्मक पैनल और अपील पैनल के सदस्यों को बिल के तहत बोर्ड द्वारा उन आधारों पर समाप्त किया जा सकता है जो बिल के बजाय नियमों में निर्दिष्ट किए जाएंगे।
- उन्हें सुनवाई का अवसर देने की भी आवश्यकता नहीं है। इससे इन पैनलों के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करना मुश्किल हो सकता है।

नाडा:

- भारत में नशीली दवाओं से मुक्त खेलों की स्थापना के लिए, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) को 24 नवंबर, 2005 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अनुसार एक सोसायटी के रूप में शामिल किया गया था।
- प्रमुख उद्देश्य डोप नियंत्रण कार्यक्रम को नियंत्रित करना, वाडा (विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी) कोड के अनुपालन में डोपिंग रोधी कानूनों को लागू करना, शिक्षा और अनुसंधान का समर्थन करना और डोपिंग और इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है।
- नाडा डोपिंग नियंत्रण में सुधार के आयोजन, आयोजन, कार्यान्वयन, निगरानी और आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। अन्य प्रासंगिक राष्ट्रीय संगठनों, एजेंसियों और डोपिंग रोधी संगठनों के साथ सहयोग करना अतिरिक्त भूमिकाओं में से एक है।

वडा:

- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने नवंबर 1999 में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) बनाई।
- वाडा को खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (2005) द्वारा स्वीकार किया गया है।
- WADA का प्राथमिक कर्तव्य सभी देशों और खेलों के लिए डोपिंग रोधी नियमों को स्थापित करना, उनमें सामंजस्य स्थापित करना और समन्वय करना है।
- डोपिंग की घटनाओं की जांच, डोपिंग अनुसंधान, और एथलीटों और अन्य आवश्यक कर्मचारियों के लिए डोपिंग रोधी नियमों का पर्याप्त संचार विश्व डोपिंग रोधी संहिता (वाडा कोड) और इसके मानकों के अनुसार किया जाता है।

- *स्रोत→ हिन्दू*

3. - उचित और लाभकारी मूल्य के बारे में:

GS III

विषय→भारतीय कृषि

➢ **संदर्भ:**

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई बैठक में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी सीजन 2022-23 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) को मंजूरी दी। 305 प्रति क्विंटल एफआरपी है। गन्ना, जिसकी मूल चीनी वसूली दर 10.25 प्रतिशत है, वह जगह है जहां से पैसा आता है। केंद्र ने चीनी की रिकवरी में 10.25 प्रतिशत से अधिक की प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ-साथ रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की कमी के लिए एफआरपी में 3.05 प्रति क्विंटल की कमी के लिए 3.05 प्रति क्विंटल का प्रीमियम भी स्थापित किया है।

एफआरपी का विवरण:

- एफआरपी वह विनियमित मूल्य है जो सरकार को मिलों को उनके द्वारा खरीदे गए गन्ने के लिए मिलों को भुगतान करने के लिए बाध्य करती है।
- मिलों के साथ अनुबंध के माध्यम से, किसानों के पास किश्तों में एफआरपी का भुगतान करने का विकल्प होता है।
- जब भुगतान देर से होता है, तो प्रति वर्ष 15% तक का ब्याज शुल्क लागू हो सकता है। इसके अतिरिक्त, चीनी आयुक्त राजस्व वसूली बकाया के रूप में अवैतनिक एफआरपी की वसूली के लिए मिल की संपत्ति को जब्त कर सकता है।
- गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 के अनुसार, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए), 1955 के तहत जारी किया गया था, गन्ने की डिलीवरी की तारीख से 14 दिनों के भीतर देश भर में एफआरपी का भुगतान करना आवश्यक है।
- कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) के प्रस्ताव के बाद, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने घोषणा (CCEA) की।
- सीएसीपी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रभाग का नाम है। एक सलाहकार निकाय के रूप में, सरकार अपनी सिफारिशों को ध्यान में रखने के लिए बाध्य नहीं है।
- संगठन की अध्यक्षता भारत के प्रधान मंत्री करते हैं।
- एफआरपी रंगराजन समिति द्वारा किए गए गन्ना उद्योग पुनर्गठन पर अध्ययन के निष्कर्षों पर बनाया गया था।

एफआरपी की घोषणा करते समय किन तत्वों को ध्यान में रखा जाता है?

गन्ना उत्पादन लागत:

- कृषि जिंसों के मूल्य निर्धारण और वैकल्पिक फसल उत्पादकों के चलन की ओर लौटते हुए, ग्राहकों को उचित मूल्य पर चीनी दी जाती है।
- वह लागत जिस पर चीनी के उत्पादक गन्ने से बनी अपनी चीनी बेचते हैं।

- शीरा, खोई और प्रेस मिट्टी उप-उत्पादों के उदाहरण हैं जो लाभ में ला सकते हैं या उनके मूल्य को उनके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- गन्ना किसानों के पास आय और जोखिम को कवर करने के लिए पर्याप्त मार्जिन होना चाहिए।

एफआरपी के लिए भुगतान विकल्प:

- एफआरपी गन्ने की चीनी-वसूली क्षमता पर आधारित है।
- चीनी सीजन 2021-2022 के लिए 10% की बेस रिकवरी पर एफआरपी 2,900 रुपये प्रति टन पर स्थापित किया गया है।
- चीनी की रिकवरी गन्ने की पेराई में उत्पादित चीनी का अनुपात है जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- उच्च एफआरपी और चीनी उत्पादन उच्च वसूली के परिणाम हैं।

गन्ने की फसल का विवरण:

- 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, नम और चिपचिपा।
- 75 से 100 सेमी वर्षा के बीच होती है।
- गहरी, समृद्ध दोमट मिट्टी बनाती है।
- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करते हैं।
- ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- जब तक मिट्टी में पर्याप्त जल निकासी है, इसे मिट्टी की दोमट से लेकर बलुई दोमट तक किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है।
- रोपण से लेकर कटाई तक, शारीरिक श्रम आवश्यक है।
- यह चीनी, गुड़, खांडसारी और गुड़ (गुड़) का मुख्य उत्पादक है।
- जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति और चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना (SEFASU) गन्ने की खेती और चीनी क्षेत्र को समर्थन देने के लिए दो सरकारी पहल हैं।

- ***स्रोत→ इंडियन एक्सप्रेस***

4. - केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का विवरण:

GS II

विषय→संवैधानिक निकाय

➢ **संदर्भ:**

- एक साल से खाली पड़ी नौकरी को भरने के लिए बुधवार को सुरेश एन. पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) नियुक्त किया गया।

सीवीसी का इतिहास:

- संथानम समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई और 2003 के सीवीसी अधिनियम ने इसे कानूनी दर्जा दिया। इसका लक्ष्य सरकारी भ्रष्टाचार को खत्म करना और लोक सेवकों को उनके बेईमान कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना था।

सीवीसी के उद्देश्य हैं:

- इसे अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य विभागों में भ्रष्टाचार से लड़ने के प्रयासों के लिए समन्वयक निकाय माना जाता है।
- भ्रष्टाचार के मामलों में, यह दिल्ली विशेष पुलिस की जिम्मेदारी है।
- यह सरकार द्वारा जारी अभियोजन वारंट को देखता है।
- वरिष्ठ समूह ए, समूह बी, अखिल भारतीय सेवा आदि कर्मियों के खिलाफ अनुशासन का सुझाव दिया जाता है।
- यह राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करता है।

सीवीसी की प्रभावशीलता:

- सीवीसी ने अपने उद्देश्य के अनुरूप भ्रष्टाचार को रोकने में सफलता का प्रदर्शन किया है। इसे साबित करने के लिए इसने अतीत में निम्नलिखित चीजें की हैं।
- इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण अधिकारियों को पहले भी विभिन्न पदों पर आसानी से नियुक्त किया जा चुका है।
- इसने पहले शीर्ष कर्मचारियों, सांसदों और उच्च पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई की है।
- यह भ्रष्टाचार से जुड़े जोखिमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल सतर्कता सप्ताह आयोजित करता है।
- यह "सू मोटो" को अंजाम दे सकता है और नागरिक विवादों के लिए अदालत के रूप में कार्य करता है।
- सीवीसी की स्वतंत्रता को बनाए रखा जाता है क्योंकि इसे प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता आदि से बनी एक निष्पक्ष समिति द्वारा चुना जाता है।

सीवीसी के सामने कई समस्याएं:

- यह उम्मीद कि सीवीसी एक ऐसा संगठन होगा जो देश में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए "वन स्टॉप सॉल्यूशन" के रूप में कार्य कर सकता है, हालांकि, निम्नलिखित अप्रभावीता के कारण गलत साबित हुआ है।

- मंत्रालयों और संगठनों को सीवीसी के फैसलों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है।
- बहुत कम दोषसिद्धि दर ने सीवीसी के प्रभाव और प्रभावशीलता को कम कर दिया है।
- सीवीसी द्वारा निपटाए गए मामलों की लंबी प्रकृति के कारण, यह एक निवारक के रूप में अप्रभावी है।
- सीवीसी को आम तौर पर एक निराशाजनक एजेंसी के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसे केवल एक सलाहकार निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसमें सीबीआई को संयुक्त सचिव या उच्चतर रैंक वाले किसी भी व्यक्ति की जांच शुरू करने का निर्देश देने की शक्ति नहीं है।
- "कुछ हद तक स्वायत्त" तरीके से काम करने के बावजूद, सीवीसी के पास भ्रष्टाचार के आरोपों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक धन और शक्ति का अभाव है।
- अधिकांश समय, संगठनों के डोमेन और क्षेत्राधिकार निर्धारित करना मुश्किल होता है।
- कार्यस्थल में विविधता कार्य के दोहराव का कारण बनती है और प्रदर्शन को कम करती है।
- केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पद बहुत लंबे समय से नहीं भरा गया है।
- सीवीसी और अन्य मौजूदा संगठन अब भ्रष्टाचार के मुद्दे का प्रभावी ढंग से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, जिससे लोकपाल जैसे नए संस्थानों का निर्माण आवश्यक हो गया है। अपने अधिदेश, वित्तीय स्वतंत्रता, और इसकी सामान्य रूप से सीमित सलाहकार भूमिका के विस्तार के संबंध में सीवीसी की शक्ति पर प्रश्नचिह्न लगाने की आवश्यकता है।

- ***स्रोत→ हिन्दू***

संपादकीय विश्लेषण

1. भारतीय प्रवासी:

परिचय:

- किसी देश के प्रवासी उसके विश्वव्यापी राजदूत के रूप में कार्य करते हैं और उसके गौरव के प्रतीक हैं। अपनी प्रेरक सफलता की कहानियों को साझा करके, वे विश्व मंच पर राष्ट्र के मूल्य को बढ़ाने में योगदान करते हैं। प्रवासी भारतीय राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा दे सकते हैं, अपनी सॉफ्ट पावर को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, यह अब व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रेषण भारतीय डायस्पोरा के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक योगदानों में से एक रहा है। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार, 2021 में 87 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रेषण भारत भेजा गया था, जिसमें से 20% से अधिक धन संयुक्त राज्य अमेरिका से आया था। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय समुदाय द्वारा भारत के विकास में किए गए योगदान को मान्यता देना। प्रवासी भारतीय दिवस परंपरागत रूप से 9 जनवरी को मनाया जाता है।

भारतीय प्रवासी:

- वर्तमान में 146 विभिन्न देशों में 31.2 मिलियन भारतीय विदेश में रह रहे हैं, जिनमें 17 मिलियन PIO और 13 मिलियन NRI शामिल हैं।
- विदेशों में कम से कम दस लाख भारतीय रहते हैं, ज्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, म्यांमार, यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा में।
- ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार, दुनिया भर में रहने वाले 17.5 मिलियन लोगों के प्रवासी के साथ, भारत अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के लिए सबसे आम देश बना हुआ है। भारत को विदेशों में रहने वाले भारतीयों से सबसे अधिक प्रेषण राशि प्राप्त हुई, जो कुल 78.6 बिलियन डॉलर या भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत है।

भारतीय प्रवासी भारत को निम्नलिखित अवसर प्रदान करते हैं:

- वे बाजारों, संसाधनों और विशेषज्ञता तक पहुंच प्रदान करके शेष विश्व के साथ मूल देश के विकास के लिए एक आवश्यक "पुल" के रूप में कार्य करते हैं।
- भारत की "सॉफ्ट डिप्लोमेसी" या "डायस्पोरा डिप्लोमेसी" काफी हद तक डायस्पोरा पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, भारतीय डायस्पोरा ने भारत-अमेरिका परमाणु समझौते की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- इसके अतिरिक्त, उन्होंने उस राष्ट्र की मदद की है जिसमें वे वर्तमान में रहते हैं और फलते-फूलते हैं। उदाहरण के लिए, सिलिकॉन वैली भारतीय सफलता के लिए एक रूपक के रूप में कार्य करती है।
- भारतीय डायस्पोरा ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रयास वे भारत में व्यापार और निवेश में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- पर्याप्त प्रेषण प्रवाह का स्रोत जिसने चालू खाता शेष का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त, यह सामाजिक उन्नति और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देता है। विश्व बैंक के अनुसार, भारतीय प्रवासी अब प्रेषण आय में दुनिया में सबसे ऊपर हैं।

- एक्सपोजर और सूचना वितरण विदेशों में भारतीय रीति-रिवाजों और संस्कृति के बारे में जागरूकता फैलाकर, उन्होंने पूरे भारत को लाभान्वित किया। उदाहरणों में भारतीय व्यंजन, योग और आयुर्वेद शामिल हैं।
- कंपनियों या शैक्षणिक संस्थानों की एनआरआई फंडिंग भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में विविधता लाती है। ये एनआरआई स्पष्ट रूप से आउटसोर्सिंग, बाजार विस्तार और ज्ञान हस्तांतरण का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो सभी वित्तीय प्रणाली की संपत्ति में दैनिक वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

कैसे जारी रखें:

- यदि प्रवासी नागरिकों को भारत में घर जैसा महसूस करना है तो आव्रजन और सीमा शुल्क निकासी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और विनम्र व्यवहार की विशेषता होनी चाहिए।
- विदेशी मुद्रा प्रवाह में सहायता करना।
- विदेशों में हमारे ब्लू-कॉलर कार्यकर्ता जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें हल करने के लिए कदम उठाएं:
- मेजबान देशों के साथ एक पारंपरिक श्रम निर्यात समझौता तैयार किया जाता है।
- हमारे मिशन विदेशों में हमारे सैनिकों पर नजर रखते हैं और उनका प्रबंधन करते हैं।
- बीमा पॉलिसियां जो आवश्यक हैं और हमारे विदेशी कर्मियों को जोखिमों से बचाती हैं।

कूटनीति से मिलकर:

- पीआईओ अक्सर अपने देश की यात्रा करते हैं या परिवार को देखते हैं। दूसरी पीढ़ी के पीआईओ से पर्यटन को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
- पीआईओ या एनआरआई को विवाहित भारतीय महिलाओं की भलाई।

आर्थिक विकास:

- विदेश में रहने वाले वरिष्ठ विनिर्माण उद्योग के कर्मचारी भारत को एक प्रसिद्ध आउटसोर्सिंग गंतव्य बनने में मदद कर सकते हैं।
- एक विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसका उपयोग केवल एनआरआई और पीआईओ परियोजनाओं के लिए किया जाएगा, पर सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए।
- एनआरआई/पीआईओ निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार इजरायल बांड की तरह अद्वितीय बुनियादी ढांचा बांड जारी करने का निर्णय ले सकती है।
- भारत को अपने पर्याप्त प्रवासी के वित्तीय और बौद्धिक संसाधनों का उपयोग करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

निष्कर्ष:

- भारतीय डायस्पोरा के साथ अपनी चल रही बातचीत के माध्यम से, भारत सरकार ने हाल ही में कूटनीति को जन-केंद्रित बनाकर एक ठोस आधार बनाया है। दोनों देशों को अपनी-अपनी आबादी के लाभ के लिए एक साथ आगे बढ़ने के लिए, भारतीय प्रवासी अपने देश और भारत के बीच एक सेतु का काम करते हैं। प्रवासी आवश्यक रणनीतिक प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं, इस प्रकार उनकी क्षमता का एहसास करना महत्वपूर्ण है।

2. भारत में सेवा क्षेत्र:

➢ **संदर्भ:**

- भारत का सेवा निर्यात वित्तीय वर्ष 2021–2022 में अपने पिछले उच्च स्तर को पार कर गया और कुल 254.4 बिलियन अमरीकी डालर का हो गया।
- 2019-2020 में 213.2 बिलियन अमरीकी डालर का पिछला उच्च 2021-2022 में नए रिकॉर्ड से आगे निकल गया।
- इसके अतिरिक्त, मार्च 2022 में, सेवा निर्यात एक मासिक उच्च स्तर को पार कर गया जिसने 26.9 बिलियन अमरीकी डालर का रिकॉर्ड बनाया।

विवरण:

- अप्रैल और दिसंबर 2021 के बीच, अधिकांश सेवा निर्यात परिवहन, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं, अन्य व्यावसायिक सेवाओं और दूरसंचार के क्षेत्रों में होगा।
- वित्त वर्ष 2021–2022 में भारत का कुल निर्यात (उत्पाद और सेवाएं संयुक्त) 676.2 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसने माल और सेवाओं दोनों के लिए पिछले निर्यात रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
- भारत ने 2019-20 और 2020-21 में क्रमशः 526.6 बिलियन अमरीकी डालर और 497.9 बिलियन अमरीकी डालर की वस्तुओं का निर्यात किया।
- भारत के व्यापारिक निर्यात ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 400 बिलियन अमरीकी डालर का आंकड़ा तोड़ दिया और कुल 421.8 बिलियन अमरीकी डालर, जो कि इसी वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2019-20 में क्रमशः 44.6 और 34.6 प्रतिशत अधिक है।

भारत में सेवा क्षेत्र:

- भारत में सेवा क्षेत्र में व्यापार, आवास और भोजन, परिवहन, भंडारण, और संचार, वित्त, बीमा, अचल संपत्ति, वाणिज्यिक सेवाएं, समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं, साथ ही निर्माण से संबंधित सेवाएं शामिल हैं।

क्षेत्र का आकार:

- सेवा क्षेत्र, जो भारत में आर्थिक विकास का मुख्य इंजन बना हुआ है, ने वित्त वर्ष 2012 (जनवरी 2022 तक) में देश के सकल मूल्य वर्धित 53% का योगदान दिया।
- रुपये से वित्त वर्ष 2016 में 68.81 ट्रिलियन (US$ 1,005.30 बिलियन) से रु। वित्त वर्ष 2010 में 101.47 ट्रिलियन (यूएस $ 1,439.48 बिलियन), भारत के सेवा क्षेत्र जीवीए का विस्तार 11.43 प्रतिशत के सीएजीआर से हुआ।
- 2025 तक, यह अनुमान लगाया गया है कि आईटी और व्यावसायिक सेवाओं के लिए भारत का बाजार 19.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होगा।
- भारत के कुल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा सेवाओं का है।
- भारत में विनिर्माण के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) मार्च 2022 में 54 से बढ़कर अप्रैल 2022 में 54.7 हो गया।

भारतीय सेवा उद्योग को जिन समस्याओं का समाधान करना चाहिए उनमें शामिल हैं:

अपर्याप्त कुशल श्रम:

- भारत के छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय बहुत सारे लोगों को रोजगार देते हैं। बहुत से सक्षम कर्मचारी अपने गृह राष्ट्रों को रोजगार की तलाश में उन जगहों पर छोड़ देते हैं जहां वेतन और काम करने की स्थिति बेहतर होती है।
- योग्य कर्मचारियों की कमी के कारण एसएमई का उत्पादन और संचालन बाधित है।
- इसके अतिरिक्त, भारत में एमएसएमई सक्षम श्रम की कमी के कारण अप्रशिक्षित या अनुभवहीन श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में असमर्थता के कारण, एमएसएमई अक्सर इन अकुशल लोगों को काम पर रखने के परिणामस्वरूप बनाए गए उत्पादों की गुणवत्ता में कमी देखते हैं।

आश्रित लोग:

- भारतीय सेवा उद्योग मुख्य रूप से पारस्परिक संबंधों पर निर्भर हैं और लोगों पर केंद्रित हैं।
- महामारी के व्यापक उद्योग-व्यापी प्रभावों ने बड़ी संख्या में उद्यमों को अस्थायी या स्थायी रूप से बंद करने के लिए मजबूर किया है। लेकिन ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन्होंने आपूर्ति और मांग दोनों में वृद्धि देखी है, जैसे कि प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स व्यवसाय, स्वास्थ्य सेवा, एफएमसीजी कंपनियां आदि।

कर लगाना:

- विशेष रूप से इस मजबूत और तेजी से बढ़ते सेवा उद्योग क्षेत्र के लिए संघीय या राज्य सरकारों द्वारा कोई कर लाभ या प्रोत्साहन आरक्षित नहीं किया गया है।
- हालांकि दोनों ही वित्तीय कठिनाइयों पर विशेष ध्यान देते हैं जो एमएसएमई और एसएमई खंड बढ़ती इनपुट लागत के परिणामस्वरूप अनुभव कर रहे हैं, वे दोनों एक स्वागत योग्य वातावरण स्थापित करने पर बहुत जोर देते हैं।

आधारभूत संरचना:

- ऐतिहासिक रूप से, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को खोजना मुश्किल रहा है।
- अधिकांश छोटे उद्यम ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं जहां बैंकिंग सुविधाओं और बैंकिंग, बीमा और पूंजी बाजार उत्पादों जैसे अन्य वित्त पोषण विकल्पों तक बहुत कम पहुंच है। इसने उनके दीर्घकालिक विकास की दर को भी कम कर दिया है।
- बुनियादी ढांचे की कमी के कारण बढ़ी हुई लागत के कारण, व्यवसायों को इन सुविधाओं में निवेश करते समय सरकारी सहायता पर निर्भर रहना चाहिए।
- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र को लुभाने के लिए सरकार को प्रोत्साहन की पेशकश करनी चाहिए।

बाजार की बाधाएं:

- कई बाजार प्रवेश बाधाओं के कारण, भारत को माल और सेवाओं के क्षेत्रों में अपने गैर-डब्ल्यूटीओ भागीदारों के साथ व्यापार करना मुश्किल हो गया है।
- कई बाजार पहुंच सीमाओं ने भारत और इसके गैर-डब्ल्यूटीओ भागीदारों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान में बाधा उत्पन्न की है।
- भले ही अमेरिका भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में से एक है, फिर भी कई बाधाएं हैं।

इनमें शामिल हैं:

- राज्य सरकारें अमेरिका में योग्य सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस का प्रबंधन करती हैं।
- यूएस पंजीकरण वाले जहाजों के लिए कम से कम 50% सरकारी कार्गो, यूएस में शिपिंग सेवाओं के मामले में घरेलू शिपिंग उद्योग को प्रतिबंधात्मक शासन के तहत समर्थित कई तरीकों में से एक है।

सेवा उद्योग को आगे बढ़ाने के सरकारी प्रयास:

- कम लागत वाली स्वास्थ्य सेवा तक जनसंख्या की पहुंच बढ़ाने के लिए, 157 नए मेडिकल स्कूल स्थापित किए गए हैं।
- पीएलआई (उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन) प्रणाली के तहत, भारत अधिक दूरसंचार और नेटवर्किंग उपकरण का उत्पादन करेगा।
- 2021 में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप का चरण-II कौशल विकास में सुधार करेगा और छात्रों को अधिक प्रभाव प्रदान करेगा।
- सरकार ने अगले चार से पांच वर्षों में भारत की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए 2021 में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की स्थापना की।
- सेवा से संबंधित एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता) का विचार भारत और यूके द्वारा 2021 में 11वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता (ईएफडी) में खोजा गया था।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 5जी संचार नेटवर्क जैसे महत्वपूर्ण सूचना सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए 2021 में अपनी साझेदारी की घोषणा की।
- भारतनेट पूरे भारत में डिजिटल कनेक्शन बढ़ाएगा।
- बीमा कंपनियों के लिए एफडीआई की सीमा 49 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी गई है, जबकि बीमा बिचौलियों के लिए बार को 100 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है।
- प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जो 300 से अधिक कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करती है, 600 जिलों में शुरू की गई थी। तीसरा चरण, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है, समकालीन और COVID से संबंधित क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। आठ लाख व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए पीएमकेवीवाई 3.0 का इरादा है।
- 5G प्रौद्योगिकी, दूरसंचार सुरक्षा और पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के क्षेत्र में अपने सहयोग को गहरा करने के लिए भारत के दूरसंचार विभाग और जापान के संचार मंत्रालय द्वारा 2021 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ब्रिटिश सरकार के डिजिटल, संस्कृति, मीडिया और खेल विभाग (DCMS) को दूरसंचार और सूचना पर एक साथ काम करने के लिए 2020 में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)।
- भारतनेट पहल के हिस्से के रूप में 2020 में सीमावर्ती, नक्सल प्रभावित और द्वीप क्षेत्रों में 5,000 ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया को चुना गया है।
- बॉन्ड पुनर्पूंजीकरण से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए नकदी प्रवाह में वृद्धि होगी।
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम) का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके और प्रत्येक भारतीय को एक अलग स्वास्थ्य आईडी देकर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है।
- 2022 तक, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन को उम्मीद है कि हर समुदाय में इंटरनेट की पहुंच होगी।
- SEIS, या भारत से सेवा निर्यात के लिए कार्यक्रम: एक विशेष वित्तीय वर्ष के भीतर योग्य सेवाओं के निर्यात पर अर्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा के एक हिस्से के रूप में, SEIS योजना सेवा निर्यातकों को योग्य सेवा श्रेणियों के लिए हस्तांतरणीय शुल्क के रूप में लाभ प्रदान करती है। क्रेडिट स्क्रिप्स।
- 2020 तक ई-कॉमर्स में सर्विस प्रोवाइडर्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए नियम होंगे।

2021–2022 के लिए सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए आर्थिक सर्वेक्षण के मुख्य अंशों में शामिल हैं:

- आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का आधे से अधिक, सेवा उद्योग द्वारा उत्पन्न किया गया था।
- सर्वेक्षण में पाया गया कि 2021-2022 की पहली छमाही में सेवा क्षेत्र में सालाना आधार पर 10.8 प्रतिशत का विस्तार हुआ।

सेवा क्षेत्र में एफडीआई:

- आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सबसे अधिक एफडीआई प्रवाह प्राप्त हुआ।
- अकेले एच1 2021-2022 में सेवा क्षेत्र ने 16.73 बिलियन डॉलर के एफडीआई इक्विटी प्रवाह को आकर्षित किया।
- सर्वेक्षण के अनुसार, वित्तीय, व्यापार, आउटसोर्सिंग, आरएंडडी, कूरियर, तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण के साथ-साथ शिक्षा उप क्षेत्रों में महत्वपूर्ण एफडीआई प्रवाह देखा गया।

वैश्विक स्तर पर सेवा विनिमय:

- आर्थिक सर्वेक्षण में पाया गया कि भारत दुनिया के बाकी हिस्सों में सेवा निर्यात पर हावी है।
- वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात का प्रतिशत 2019 में 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में 4.1 प्रतिशत हो गया, इसने शीर्ष दस सेवा निर्यातकों में से एक के रूप में अपना स्थान बनाए रखा।
- आर्थिक सर्वेक्षण में पाया गया कि कोविड -19 के कारण वैश्विक बंद के कारण भारत के सेवाओं के निर्यात पर माल के निर्यात की तुलना में कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

- परिवहन सेवाओं के निर्यात पर COVID-19 के हानिकारक प्रभावों के बावजूद, सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि सकल सेवा निर्यात और व्यापार के निर्यात में दोहरे अंकों की वृद्धि से प्रेरित 2021–2022 की पहली तिमाही में शुद्ध सेवा निर्यात में 22.8% की वृद्धि हुई, सॉफ्टवेयर, और परिवहन सेवाएं।